न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00232RAAJodhpur2020-102RTA223 Aidanram ors Vs Sujaram etc

01. आईदानराम पुत्र हिम्मताराम, जाति जाट, निवासी- बासनी पाता, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
02. पदमाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति जाट, निवासी- बासनी पाता, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
03. कोयली पुत्री हिम्मताराम पत्नी लुम्बाराम, जाति जाट, निवासी- मेलाणा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
04. समू पुत्री हिम्मताराम पत्नी मुल्तानाराम, जाति जाट, निवासी- कजनउ कला तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
05. हवली पुत्री हिम्मताराम पत्नी भानाराम, जाति जाट, निवासी- कास्टी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
06. झमू पत्नी हिम्मताराम, जाति जाट, निवासी- बासनी पाता, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
07. पप्पूड़ी पत्नी मोहनराम, जाति-जाट, निवासी- ओस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सुजाराम पुत्र रहींगाराम, जाति जाट,
2. पेपी पत्नी घेवरराम
3. धोकलराम पुत्र घेवरराम
4. मगनाराम पुत्र घेवरराम
5. मनरुप राम पुत्र घेवरराम
6. नारूराम पुत्र घेवरराम
   सभी निवासीगण- बासनी पाता, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
7. सोहनी पुत्री घेवरराम पत्नी ओमजी, जाति- जाट, निवासी- सारणो की ढाणी, भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
8. नैनी पुत्री घेवरराम पत्नी चैनाराम, जाति जाट, निवासी- गोदारो की ढाणी मेलाणा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
9. जीयाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट,
10. सायरी देवी पुत्री गोपाराम जाति जाट,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11. बाबू देवी पुत्री गोपाराम जाति जाट,
12. इन्द्रा पुत्री किशनाराम जाति जाट
13. जिमना पुत्री किशनाराम जाति जाट,
14. हरकू पुत्री किशनाराम जाति जाट
15. चुकी पुत्री किशनाराम जाति जाट,
16. माडी देवी पुत्री किशनाराम जाति जाट,
17. बाबुराम पुत्र हिमताराम जाति जाट,
    सभी निवासीगण- बासनी पाता, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 38/2014 सुजाराम बनाम घेवरराम के कायम मुकाम पेपी इत्यादि

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक, पांच व नौ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या अठारह

नि र्ण य

दिनांक : 27 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 38/2014 सुजाराम बनाम घेवरराम के कायम मुकाम पेपी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी सुजाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 102, 117, 177, 203 कुल रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 115, 128/1, 178/1, 200/1, 68/1, 95/1 कुल रकबा 51 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 114/1 रकबा 3.19 बीघा ग्राम बासनी पाता, खसरा नं. 71, 72 व 77/1 कुल रकबा 21.09 बीघा ग्राम मटकोरियॉ के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2020 को वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर दावे के सम्मनों की विधिवत तामील के बिना ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एक तरफा डिक्री पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की है। दिनांक 06.08.2019 तक दावा तामील होने में चल रहा था। दिनांक 06.08.2019 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी को पुनः सम्मन पेश करने का आदेश दिया गया था एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.08.2019 रखी गई थी। दिनांक 13.08.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होना मानकर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया जो गलत एवं मिली भगत कर न्यायालय के साथ फोड किया है। न्यायालय की आदेशिकाओं से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा कब सम्मन पेश किये गये तथा कब तामील करवाये गये। वादी द्वारा दावे के साथ विधिवत शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था तथा न ही दावे के साथ डुप्लीकेट प्लेंट पेश की गई थी, इस कारण दावा पोषणीय ही नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के अनुसार नहीं होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादी का दावा बिना साक्ष्य एवं दस्तावेजो का विवेचन एवं विश्लेषण किये निष्कर्ष की केवल एक लाईन लिखकर दावा डिक्री कर दिया। वादी के शपथ-पत्र तस्दीक भी नहीं है। जमाबंदी में दावे में लिखे अनुसार हिस्से दर्ज नहीं है। बंटवाड़े के दावे में प्राथमिक डिक्री में न्यायालय पक्षकारों के हिस्से की घोषणा करता है। उसके बाद हिस्से अनुसार मौके पर बंटवाड़ा कर तहसीलदार से प्रस्ताव तलब किये जाते है। अतः बिना हिस्से की घोषणा प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक नोटिस के अपीलांट्स के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 09.09.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई तथा जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश की गई।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2020 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा वादी का वाद विधिनुसार नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई, उसके बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। दावे में पक्षकारान् के हिस्से खोले हुए है, जिस पर अपीलांट्स द्वारा किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन/हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो। अपीलांट्स द्वारा जानकारी होने के बावजूद भी अपील विलंब से पेश की है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अपीलांट्स को भेजे गये सम्मन बाद तामील विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है जो उनकी माता एवं भाई से तामील हुए है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है अपीलांटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर तामील हेतु सम्मन भेजे नही गये हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश तहसीलदार बावड़ी को दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं तथा न ही अपीलांट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के गलत होने अथवा हिस्से के बारे में विवाद होने का तथ्य उठाया है।

अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर पर केवल तकनीकी कमियों को उठाया है। उनके द्वारा अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं उठाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में गुणावगुण पर किसी प्रकार की त्रूटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 38/2014 सुजाराम बनाम घेवरराम के कायम मुकाम पेपी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2020 यथावत रखे जाते है। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.7.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

01. आईदानराम पुत्र हिम्मताराम, जाति जाट, निवासी- बासनी पाता, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
02. पदमाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति जाट, निवासी- बासनी पाता, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
03. कोयली पुत्री हिम्मताराम पत्नी लुम्बाराम, जाति जाट, निवासी- मेलाणा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
04. समू पुत्री हिम्मताराम पत्नी मुल्तानाराम, जाति जाट, निवासी- कजनउ कला तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
05. हवली पुत्री हिम्मताराम पत्नी भानाराम,

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. सुजाराम पुत्र रहींगाराम, जाति जाट,
2. पेपी पत्नी घेवरराम
3. धोकलराम पुत्र घेवरराम
4. मगनाराम पुत्र घेवरराम
5. मनरूप राम पुत्र घेवरराम
6. नारूराम पुत्र घेवरराम सभी निवासीगण- बासनी पाता, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
7. सोहनी पुत्री घेवरराम पत्नी ओमजी, जाति- जाट, निवासी- सारणो की ढाणी, भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
8. नैनी पुत्री घेवरराम पत्नी चैनाराम, जाति जाट, निवासी- गोदारो की ढाणी मेलाणा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
9. जीयाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट,
10. सायरी देवी पुत्री गोपाराम जाति जाट,
11. बाबू देवी पुत्री गोपाराम जाति जाट,
12. इन्द्रा पुत्री किशनाराम जाति जाट
13. जिमना पुत्री किशनाराम जाति जाट,
14. हरकू पुत्री किशनाराम जाति जाट
15. चुकी पुत्री किशनाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जाति जाट,
निवासी- कास्टी,
तहसील बावड़ी,
जिला जोधपुर।

06. झमू पत्नी
हिम्मताराम,
जाति जाट,
निवासी- बासनी
पाता, तहसील
बावड़ी जिला
जोधपुर।

01. पप्पूड़ी पत्नी
मोहनराम,
जाति-जाट,
निवासी-
ओस्तरा,
तहसील
भोपालगढ,
जिला जोधपुर।

जाति जाट,

16. माडी देवी पुत्री
किशनाराम जाति जाट,

17. बाबुराम पुत्र हिमताराम
जाति जाट,
सभी निवासीगण- बासनी
पाता, तहसील बावड़ी
जिला जोधपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
बावड़ी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 38/2014 सुजाराम बनाम घेवरराम के कायम मुकाम पेपी इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 27 जुलाई 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 38/2014 सुजाराम बनाम घेवरराम के कायम मुकाम पेपी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2020 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 27 जुलाई 2023 को जारी किया गया।

27.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

27.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
सत्यमेव जयते